[2019] 2 एस. सी. आर. 432

हिमाचल प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

वी.

शशि कुमार

(2019 की सिविल अपील No.988)

16 जनवरी, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड और

हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

सेवा कानून-अनुकंपा नियुक्ति-राज्य, यदि पारिवारिक पेंशन और अन्य अंतिम शर्तों को ध्यान में रखने का हकदार है।

यह निर्धारित करने में लाभ कि क्या किसी मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिएः जिन शर्तों पर अनुकंपा वाले आवेदनों पर विचार किया जाएगा, वे राज्य द्वारा बनाई गई नीति के अधीन हैं और उन्हें नीति की शर्तों को पूरा करना चाहिए-तत्काल मामले में, नीति को 18.01.1990 पर तैयार किया गया था, जिसे उन परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, जहां एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु ने उन्हें गरीब परिस्थितियों में छोड़ दिया है, जिसके लिए तत्काल साधनों की आवश्यकता होती है-नीति ने माना कि कल्याणकारी उपायों के कारण एक परिवार को जो लाभ प्राप्त हुए थे, उन पर विचार करने की आवश्यकता थी-नीति एक मृत कर्मचारी के आश्रितों को केवल इसलिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार करने से नहीं रोकती थी क्योंकि वे पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति में हैं-जो अनिवार्य नीति थी, वह यह थी कि पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति को इस बात पर विचार करने में ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या परिवार को गरीब परिस्थितियों में छोड़ दिया गया है।

सेवा कानून अनुकंपा नियुक्ति-आय स्लैब का प्रिस्क्रिप्शन-18.01.1990 पर, राज्य सरकार ने एक नीति तैयार की /

अनुकंपापूर्वक नियुक्तियाँ करने के लिए योजना-वित्त विभाग द्वारा दिनांकित एक पत्र द्वारा एक आय मानदंड/आय स्लैब निर्धारित किया गया था-उच्च न्यायालय का विचार था कि योजना में संशोधन करने के लिए वित्त विभाग के लिए यह खुला नहीं था-राज्य यह तर्क दिया गया कि आय स्लैब विवेकाधिकार के तत्व को कम करता है और एक मामले के आधार पर इस बात का विश्लेषण करता है कि किसी राज्य की गरीब परिस्थितियों को तय करने के लिए आय मानदंड क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए।

परिवार-आयोजितः आय स्लैब का निर्धारण एक ऐसा उपाय है जो मनमानेपन के तत्व को कम करता है-आय स्लैब का निर्धारण वित्त द्वारा जारी निर्णय लेने के परिपत्रों की प्रक्रिया में निष्पक्षता और एकरूपता लाने के उद्देश्य को कम करता है।

विभाग को नीति में संशोधन नहीं माना जा सकता है-परिपत्र व्याख्यात्मक हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य योजना में शामिल निर्धनता की अवधारणा पर निर्णय निर्माता का मार्गदर्शन करना है-इस प्रकार, आय सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार के निर्णय की पुष्टि की गई है-इसके अलावा, राज्य को समय-समय पर तीन साल या उससे पहले के अंतराल पर आय सीमा को संशोधित करने का निर्देश दिया गया है, और इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया गया है कि क्या जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए कोई संशोधन आवश्यक है।

मुद्रास्फीति और अन्य प्रासंगिक तथ्य और परिस्थितियाँ। अनुकंपा नियुक्ति नियुक्ति में देरी/देरी-आयोजितः तत्काल मामले में, प्रतिवादी ने सात से अधिक समय तक प्रतीक्षा की

संविधान के यू/Art.226 के तहत एक याचिका दायर करने के लिए साल-उमेश कुमार नागपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि आधार अनुकंपा नियुक्ति की योजना मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता में निहित है-यह तात्कालिकता की भावना स्पष्ट रूप से अनुकंपा नियुक्ति की मांग में आश्रित की ओर से देरी से खो गई थी।

इस प्रकार, प्रतिवादी को अनुकंपा की मांग करने से रोक दिया गया

देरी के साथ-साथ समय के अंतराल तक नियुक्ति।

सेवा कानून।

भारत का संविधान-कला। 14 और 16-दयालु

नियुक्ति-आयोजितः अनुकंपापूर्ण नियुक्ति एक अपवाद है

सामान्य नियम के अनुसार राज्य की सेवा में किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति उन सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए जो कला के अनुरूप हैं। 14 और संविधान का 16-राज्य के एक मृत कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पर नीति के आधार पर पात्र बनाया जाता है।

प्रतिवादी के पिता, जो में काम कर रहे थे

बागवानी विभाग का वर्ष 2005 में निधन हो गया जब वे सेवा में थे। 2007 में, प्रतिवादी ने एक आवेदन प्रस्तुत किया

अनुकंपा नियुक्ति। आवेदन भेजा गया था

सक्षम अधिकारी। अतिरिक्त सचिव (बागवानी) के लिए आवश्यक था कि पेंशन सहित आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अपीलार्थी द्वारा संबंधित एस. डी. एम. से प्राप्त।

में, रिट [2019] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी द्वारा याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य को यह निर्धारित करने में पारिवारिक पेंशन और अन्य अंतिम लाभों को ध्यान में रखने का अधिकार नहीं है कि मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए या नहीं। इसलिए, वर्तमान अपील।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. दयालु नियुक्ति एक अपवाद है।

सामान्य नियम के अनुसार राज्य की सेवा में किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए। जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप है।

राज्य के मृत कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पर नीति के आधार पर पात्र बनाया जाता है। पॉलिसी का आधार यह है कि यह मान्यता देता है कि किसी मृत कर्मचारी के परिवार को सेवा में रहते हुए कर्मचारी की असामयिक मृत्यु पर वित्तीय कठिनाई की स्थिति में रखा जा सकता है। यह आवश्यकता की तात्कालिकता है जो राज्य को अनुकंपा नियुक्ति के लाभ की अनुमति देने के लिए आधार प्रदान करती है। जहां प्राधिकरण को पता चलता है कि परिवार की वित्तीय और अन्य परिस्थितियां ऐसी हैं कि तत्काल सहायता के अभाव में, यह गरीब हो जाएगा, तो परिवार के किसी आश्रित सदस्य के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। शर्तों

जिन आवेदनों पर विचार किया जाएगा, वे राज्य द्वारा बनाई गई नीति के अधीन हैं और उन्हें नीति की शर्तों को पूरा करना होगा। इस मायने में, यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन, जहां एक नीति है, एक मृत कर्मचारी के परिवार का एक आश्रित सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने और राज्य द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार आवेदन पर विचार करने का हकदार है। [पैरा 20] [447-ई-एच; 448-ए-बी]

2. वर्तमान मामले में 18 जनवरी 1990 को तैयार की गई नीति स्पष्ट रूप से रोजगार प्रदान करने की बात करती है।

सेवा के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता, "अपने परिवारों को गरीब में छोड़ते हुए"

परिस्थितियाँ "। दूसरे शब्दों में, यह नीति उन परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है जहां एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु ने उन्हें गरीब परिस्थितियों में छोड़ दिया है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की आवश्यकता होती है।

निर्वाह के तत्काल साधन। यह नीति इस बात को मान्यता देती है कि कल्याण के कारण परिवार को जो लाभ मिलते हैं

उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है। इनमें से, नीति निर्धारित करती है कि परिवार की वित्तीय परिस्थितियों का आकलन करते समय पारिवारिक पेंशन और मृत्यु उपदान को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। यह नीति किसी मृत कर्मचारी के आश्रितों को केवल पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति के कारण अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार करने से नहीं रोकती है। पॉलिसी में जो अनिवार्य है वह यह है कि पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति

यह विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या परिवार को आजीविका के तत्काल साधनों की आवश्यकता वाली गरीब परिस्थितियों में छोड़ दिया गया है। इसलिए, पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति उन विचारों में से एक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 10 (ग) नीति में राज्य द्वारा प्रदान किए गए उपायों को निर्धारित किया गया है जिनका परिवार की वित्तीय आवश्यकता पर प्रभाव पड़ता है।

[पैरा 21] [448-बी-ई]

मनमानी। जबकि, निस्संदेह, निर्णय लेते समय प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है, आय स्लैब का निर्धारण निर्णय लेने की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता और एकरूपता लाने के उद्देश्य को कम करता है। उच्च न्यायालय का विचार था कि वह योजना में संशोधन करने के लिए वित्त विभाग के लिए खुला नहीं है। वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्रों को नीति का संशोधन नहीं माना जा सकता है। वे वास्तव में योजना के इरादे और उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। परिपत्र व्याख्यात्मक हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य निर्धनता की अवधारणा पर निर्णय निर्माता का मार्गदर्शन करना है। जिसे योजना में शामिल किया गया है। [पैरा 39] [455-डी-एफ]

4. आय का उचित मानदंड क्या होना चाहिए, यह निस्संदेह राज्य सरकार के लिए नीति का विषय है।

तय करें। हालांकि, यह राज्य सरकार पर प्रभावित है कि आय सीमा को समय-समय पर संशोधित करने की आवश्यकता है, अधिमानतः तीन साल का अंतराल। मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत में वृद्धि का सेवारत और साथ ही मृत कर्मचारियों के परिवारों के सामने आने वाली वित्तीय आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

9] 2 एस. सी. आर. को ठीक करने में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुकंपा के मामलों पर विचार करने के लिए आय मानदंड

नियुक्ति, यह उचित होगा यदि राज्य आवधिक अंतराल पर आय सीमा पर पुनर्विचार करता है। [पैरा 39] [456-बी-सी] 5. जहाँ तक प्रत्यर्थी से संबंधित व्यक्तिगत तथ्यों का संबंध है, यह रिकॉर्ड से सामने आया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका 11 मई 2015 को स्थापित की गई थी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन था

8 मई 2007 को प्रस्तुत किया गया। 15 जनवरी 2008 को अतिरिक्त

सचिव के लिए आवश्यक था कि पेंशन के माध्यम से प्राप्त राशि को परिवार के आय विवरण में शामिल किया जाए। इसके बाद प्रतिवादी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने के लिए सात साल से अधिक समय तक इंतजार किया। उमेश कुमार नागपाल मामले में, इस अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि एक योजना का आधार

अनुकंपा नियुक्ति मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करने की आवश्यकता में निहित है। सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति की मांग में आश्रित की ओर से देरी से तत्कालता की यह भावना स्पष्ट रूप से खो जाती है। प्रत्यर्थी को देरी के साथ-साथ समय बीतने से अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने से रोक दिया जाता है। [पारस 40 और 42] [456-डी-एफ; 457-बी]

गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम। भारतीय जीवन बीमा निगम (2005) 10 एस. सी. सी. 289; ए. पी. एस. आर. टी. सी., मुशीराबाद बनाम सर्वरुन्निसा बेगम ए. आई. आर. 2008 एस. सी. डब्ल्यू. 198 [2008] 8 एस. सी. आर. 453; केनरा बैंक बनाम। एम. महेश कुमार (2015) 7 एससीसी 412 [2015] 9 एससीआर 724; महाप्रबंधक (डी एंड पी. बी) वी. कुंती तिवारी (2004) 7 एस. सी. सी. 271; पंजाब नेशनल बैंक बनाम। अश्विनी कुमार तनेजा (2004) 7 एस. सी. सी. 265 [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 597; भारतीय स्टेट बैंक बनाम। सोमवीर सिंह (2007) 4 एस. सी. सी. 778 [2007] 2 एस. सी. आर. 509; मुमताज यूनुस मुलानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2008) 11 एससीसी 384: [2008] 5 एस. सी. आर. 241; भारतीय स्टेट बैंक बनाम जसपाल कौर (2007) 9 एस. सी. सी. 571: [2007] 2 एससीआर

101 ; जे एंड के राज्य बनाम सज्जाद अहमद मीर (2006) 5 एस. सी. सी. स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम।

शशि कुमार

766 [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 576; स्थानीय प्रशासन

विभाग वी। एम. सेल्वनायगम (2011) 13 एससीसी 42:

[2011] 4 एस. सी. आर. 244-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2005) 10 एससीसी 289

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[2008] 8 एससीआर 453

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[2015] 9 एससीआर 724

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

(1994) 4 एससीसी 138

उस पर भरोसा करें

पै

रा 23

(2004) 7 एस. सी. सी. 271

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

[2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 597 को संदर्भित किया गया

पै

रा 27

[2007] 2 एससीआर 509

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

[2008] 5 एससीआर 241

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

[2012] 6 एससीआर 98

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

(2014) 15 एससीसी 739

उस पर भरोसा करें

पै

रा 32

[2007] 2 एससीआर 101

संदर्भित किया गया है

पै

रा 34

[2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 576 को संदर्भित किया गया

पै

रा 40

[2011] 4 एससीआर 244

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 988

2019

उच्च न्यायालय के 06.10.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. No.3652 में हिमाचल प्रदेश, शिमला का न्यायालय।

विकास महाजन, एएजी, पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आकाश वर्मा,

अनिल कुमार, अभिनव मुखर्जी, सुश्री बिहू शर्मा, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, अजय मारवाह, अतुल कुमार, ईशान दीवान, प्लाक

बागची, अभिमन्यु शर्मा, ईशान दीवान, एस. के. वर्मा, सूर्यनारायण सिंह, सुश्री प्रगति नीखरा, सुश्री कावेरी वत्स, वरिंदर कुमार शर्मा, सुश्री राधिका गौतम, राजुल श्रीवास्तव, के. कृष्ण कुमार, विक्रांत नारायण वासुदेव, अश्विनी कुमार, सुश्री इति शर्मा, जय कृष्ण। भारद्वाज, रविंदर नैन, पुनीत शर्मा, जोगी स्कारिया, रीगन एस. बाली, सुश्री बीना विक्टर, रवि होमड, वीरांजनेयविलू K.L.N.V, अनिल नाग, रवि बख्शी, आदित्य धवन, सुश्री किरण धवन, शशांक कुमार, चंदर शेखर [2019] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अशरी, जयंत मोहन, सुनील कुमार जैन, अभिषेक जैन, सुश्री अनुषा अग्रवाल, पुण्य गर्ग, अभिषेक जैन, श्रीलोक नाथ रथ, वाई. पी. सिंह, शरण ठाकुर, महेश ठाकुर, विजय कुमार परदेसी, डॉ. सुशील बलवाड़ा, करण चौहान, सुश्री मंजीत चावला, सुश्री भारती त्यागी, सुश्री दिव्या ज्योति सिंह, विनोद शर्मा, पवन रेली, गोपाल प्रसाद, सतीश कुमार, अरविंद एस., ए. लक्ष्मी नारायण, श्रीमती नानिता शर्मा, विवेक शर्मा, बजरंग लाल जाट, बलदेव सिंह, डी. एस. पटियाल, बिनय कुमार दास, योगेश कुमार माथुर, सुश्री अमिता सिंह कल्कल, एम. सी. ढींगरा। गुप्ता, विक्रांत यादव, पी. एन. पुरी, रीता दीवान पुरी, अभिषेक पुरी, धीरज, परमानंद गौर, एकनाथ बंसल, यशपाल ढींगरा, बलदेव सिंह, डी. एस. पटियाल, विनय कुमार दास, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे. 1. छोड़ दें।

दिया गया। 2. वर्तमान अपील उन मामलों के एक समूह में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले से उत्पन्न होती है जिन पर विचार किया गया था।

अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे के साथ।

3. तथ्य, जहाँ तक वे इस अपील के लिए सामग्री हैं, इस प्रकार हैं:

4. कुल्लू में बागवानी विभाग में एच. एफ. ओ. के रूप में काम कर रहे प्रतिवादी के पिता की 29 मार्च 2005 को मृत्यु हो गई, जब वे कुल्लू में थे।

कुल्लू में उप निदेशक, बागवानी 14 सितंबर 2007 को सक्षम अधिकारियों को। 15 जनवरी 2008 को हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त सचिव (बागवानी) ने बागवानी निदेशक को संबोधित करते हुए कहा कि आय प्रमाण पत्र जो आवेदन के साथ भेजा गया था। इसमें वह पेंशन शामिल नहीं है जो परिवार को सरकार से मिल रही थी। तदनुसार, अपर सचिव ने अपेक्षा की कि आवेदक द्वारा संबंधित एस. डी. एम. से पेंशन सहित आय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका 11 मई 2015 को शुरू की गई थी, जिसके सात साल बाद।

प्रत्यर्थी ने स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश v का उल्लेख किया है। शशि कुमार [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उच्च न्यायालय के समक्ष भारत का संविधान। उच्च न्यायालय नेमामलों के एक समूह, दोनों लेटर्स पेटेंट अपील और सुनवाई के लिए रिट। वे 18 जनवरी की एक नीति से निकले थे।

ओ रोजगार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया

सरकार के आश्रितों के लिए अनुकंपा के आधार पर नृत्य

चींटियाँ जो दोहन में मर गई हैं, एक परिवार को सहायता की आवश्यकता में छोड़ देती हैं। उच्च न्यायालय ने निर्णय के दौरान उतने ही मुद्दों को तैयार किया जो निम्नलिखित शर्तों में थेः

" (i) क्या मृतक-कर्मचारी के परिवार द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की राशि को अनुकंपा से वंचित करने के लिए पारिवारिक आय में शामिल किया जा सकता है।

नियुक्ति?

((ii) पॉलिसी के लागू होने के लिए कौन सी तारीख प्रासंगिक होगी-चाहे कर्मचारी की मृत्यु की तारीख हो या आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख, पहली बार, अनुकंपा के आधार पर रोजगार पाने के लिए या जिस तारीख को आवेदन प्राधिकरणों के समक्ष विचार के लिए आया था, और क्या अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा किया जा सकता है

बाद के संशोधन के आधार पर निर्णय लिया गया, जब

इस तरह के संशोधन से पहले आवेदन प्रस्तुत किया गया था?

(iii) यदि कोई आवेदक एल. आई. एस. में था और उसके मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था, तो क्या ऐसे आवेदक के दावे का निर्धारण उस नीति के अनुसार किया जाना है जो आदेश पारित करने के समय मौजूद थी या उस नीति के अनुसार जो पहली बार दावा करने के समय थी या मौजूदा नीति के अनुसार।

विचार के समय?

((iv) क्या आवेदक निचली संवर्ग में नियुक्त होने के बाद किसी उच्च संवर्ग के खिलाफ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा कर सकता है?

(v) यदि किसी व्यक्ति को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो क्या वह

नियमित आधार पर नियुक्ति पाने के उसके अधिकारों के भीतर?

(vi) मामलों के एक समूह में, एक मामले में श्रेणी-III पद के खिलाफ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश की गई है और दूसरे मामले में, चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति की पेशकश की गई है, क्या यह भेदभाव के बराबर है?

19] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(vii) क्या कोई व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति का दावा कर सकता है

एक बड़ी देरी?

(viii) क्या अपेक्षित योग्यता या आयु में छूट दी जा सकती है?

(ix) यदि किसी मृतक-कर्मचारी के एक या अधिक आश्रित सेवा में हैं/हैं, हालांकि वे अलग रहते हैं, तो क्या इसे दूसरे को अनुकंपापूर्ण नियुक्ति से इनकार करने का आधार बनाया जा सकता है।

मृतक का आश्रित-कर्मचारी?

6. जहाँ तक वर्तमान अपील का संबंध है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने मुद्दों (i) और (vii) पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। अतः, इस अपील के प्रयोजनों के लिए, वर्तमान निर्णय मामले के केवल उपरोक्त पहलुओं को नियंत्रित करता है।

7. विवाद की प्रकृति को समझने के लिए, राज्य सरकार की नीति की उत्पत्ति का प्रचार करना आवश्यक होगा।

8. 18 जनवरी 1990 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुकंपा से नियुक्तियां करने के लिए एक नीति बनाई। नीति.

यह इंगित करता है कि यह सरकारी कर्मचारियों के बेटों, बेटियों और निकट रिश्तेदारों की नियुक्ति के अनुरोधों पर लागू होता है, जो नौकरी में मर जाते हैं, जिससे परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। जहाँ तक यह सामग्री है, नीति इस प्रकार प्रदान करती हैः

" विषय-ऐसे सरकारी कर्मचारी के पुत्रों/पुत्रियों/निकट संबंधियों की नियुक्ति, जो अपने परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता में छोड़ते हुए नौकरी करते हुए मर गया हो। 1) नीतिः - सरकार के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार। सेवा के दौरान मरने वाले सेवकों को अधिकार के रूप में प्रदान नहीं किया जाना है। यह केवल उन योग्य मामलों में दिया जाना चाहिए जहां मृतक का परिवार सरकारी है। नौकर को गरीब परिस्थितियों में छोड़ दिया जाता है जिसके लिए निर्वाह के तत्काल साधनों की आवश्यकता होती है। द.

संबंधित प्रशासनिक विभाग नियुक्ति से पहले परिवार की निर्धन परिस्थितियों के बारे में खुद को संतुष्ट करेंगे।

अनुकंपा के आधार पर बनाया जाता है "।

9. पॉलिसी के पैराग्राफ 2 में प्राथमिकता के क्रम में केवल एक विधवा, बेटे या अविवाहित बेटी के लिए और एक अविवाहित सरकारी कर्मचारी के मामले में पिता, मां, भाई या अविवाहित बहन के लिए इसकी प्रयोज्यता का प्रावधान है। पैराग्राफ 2 (ए) इस प्रकार हैः

" 2) नीति किस पर लागू होती हैः - अनुकंपा के आधार पर रोजगार सहायता की अनुमति केवल विधवा या एक बेटे या एक अविवाहित बेटी (अविवाहित सरकारी कर्मचारी से लेकर पिता, मां भाई और अविवाहित बहन के मामले में) को प्राथमिकता के क्रम में दी जाएगीः

((क) एक सरकारी। नौकर जो सेवा में रहते हुए मर जाता है (आत्महत्या सहित) अपने परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता में छोड़ देता है।

10. नीति के पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल वर्ग के सबसे निचले पायदान पर की जा सकती है।

निर्धारित वेतनमान वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद। नीति के पैराग्राफ 8 में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के तीन साल के भीतर रोजगार सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त किए जाने चाहिए। हालाँकि, जहाँ मृतक के बच्चों में से कोई भी नहीं था

सरकारी कर्मचारी ने मृत्यु के समय वयस्कता प्राप्त कर ली थी, नियुक्ति के लिए अनुरोध प्राप्त करने की समय सीमा को सबसे बड़े बेटे या अविवाहित बेटी द्वारा 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। पैराग्राफ 8 निम्नलिखित शब्दों में हैः

“ 8) अनुकंपा नियुक्तियों के लिए विलंबित अनुरोधः रोजगार सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध विभाग में प्राप्त किए जाने चाहिए।

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के तीन साल के भीतर संबंधित। यदि मृतक सरकारी कर्मचारी का कोई भी बेटा/बेटी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय वयस्क (18 वर्ष की आयु) नहीं हो जाता है, तो संबंधित विभाग में रोजगार सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त करने की समय सीमा सबसे बड़े बेटे/अविवाहित बेटी द्वारा 21 वर्ष की आयु प्राप्त करना होगी। अनुरोधों के मनोरंजन में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

पुत्रों/अविवाहितों के मामले को छोड़कर उपरोक्त आयु से परे मृतक सरकार की बेटी/विधवा। से संबंधित सेवक

हस्तांतरण नीति में निर्धारित कठिन क्षेत्र।

11. नीति के पैराग्राफ 10 में कहा गया है कि सरकार ने कई कल्याणकारी उपाय शुरू किए हैं, जिनसे सरकारी कर्मचारियों के परिवारों की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इसलिए, नीति में निर्धारित किया गया है कि उन कल्याणकारी उपायों के कारण परिवार द्वारा प्राप्त लाभों को रोजगार सहायता के मामलों पर विचार करते समय "ध्यान में रखा जा सकता है"।

अनुकंपा के आधार। यह नीति उन कल्याणकारी उपायों की गणना करने के लिए आगे बढ़ती है जो इसके निर्माण की तारीख को मृत कर्मचारियों के परिवारों के लिए उपलब्ध थे। पॉलिसी का पैराग्राफ 10 (सी), जिसका इस मामले में असर है, निम्नलिखित शर्तों में हैः

ग) रोजगार सहायता का प्रावधान शुरू किया गया था

58 और तब से कई कल्याणकारी उपाय किए गए हैं

सरकार द्वारा प्रस्तुत। जिससे सरकार के परिवारों की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। नौकर मर रहे हैं

रेनेस। इनके कारण परिवार को मिलने वाला लाभ

अनुकंपा के आधार पर रोजगार सहायता के मामलों पर विचार करते समय सहजता को ध्यान में रखा जा सकता है। इस तरह

संक्षेप में, जो वर्तमान में परिवारों के लिए उपलब्ध हैं

मृतक कर्मचारी इस प्रकार हैंः

(i) परिलब्धियों का 10 गुना तदर्थ अनुग्रह अनुदान।

सरकारी कर्मचारी मृत्यु से पहले प्राप्त कर रहा था, विषय

((ii) बेहतर पारिवारिक पेंशन का अनुदान। (iii) मृत्यु उपदान का अनुदान निम्नानुसार हैः

सेवा	उपदान की दर
(a) उससे कम एक वर्ष	2 परिलब्धियों का समय।
ख) एक वर्ष या अधिक लेकिन 5 साल से कम	6 परिलब्धियों का समय।
(ग) 5 वर्ष या अधिक लेकिन कम 20 साल से अधिक	12 परिलब्धि का समय
	प्रत्येक के लिए वेतन का आधा

(घ) 20 वर्ष

छह माह की अवधि पूरी की

या अधिक

एक के अधीन योग्यता सेवा

अधिकतम 33 गुना परिलब्धि

बशर्ते कि मृत्यु की राशि ग्रेच्युटी किसी भी मामले में इससे अधिक नहीं होगी।

एक लाख रुपये।

((iv) कर्मचारी समूह बीमा योजनाः - आर्थिक सहायता

मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को निम्नानुसारः

(i) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

रु. 10,000 /

((ii) तृतीय श्रेणी के कर्मचारी

रु.

20,000 / हिमाचल प्रदेश राज्य v. शशि कुमार [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

((iii) द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी

रु. 40,000 /

((iv) प्रथम श्रेणी के कर्मचारी

रु. 80,000 /

(v) इसके अलावा योगदान की गई राशि का लगभग दो तिहाई

कोष के लिए सरकारी कर्मचारी भी देय है

राशि से ऊपर।

(vi) मृतक सरकार के खाते में छुट्टी को भुनाना।

अधिकतम 240 दिनों के अधीन नौकर।

मृतक सरकार के जी. पी. एफ. में। तीन वर्षों के दौरान सेवक अभिदाता की मृत्यु से तुरंत पहले कुछ शर्तों के अधीन

जमा से जुड़ी बीमा योजना के तहत शर्त "।

12. इस नीति में समय-समय पर संशोधन किया गया है।

24 अगस्त 2002 को, इस संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था

नीति में उपयोग की जाने वाली "गरीब परिस्थितियाँ"। स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः

" ..... इस संबंध में, संदर्भ प्राप्त हुए हैं

कुछ विभाग पूछ रहे हैं कि "निर्धन" क्या है

परिस्थितियां "और यह भी अनुरोध करते हैं कि कुछ समान दिशानिर्देश

इस विषय पर जारी किया जा सकता है।

इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और इस पर ध्यान दिया गया है

किस राशि के संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देश

“ गरीब परिस्थितियाँ "संभव या व्यावहारिक नहीं होंगी।

परिसंपत्तियों का संदर्भ अर्थात अचल और चल संपत्ति विभिन्न स्रोतों से मृतक की आय द्वारा छोड़ी गई आय अर्थात

आय रोजगार के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियाँ, घर, पेंशन, बचत विस्तारित परिवार आदि के भीतर कर्मचारियों की स्थिति और संख्या।

साथ ही देनदारियाँ अर्थात आश्रितों की संख्या विशेष रूप से अविवाहित

परिवार के जीवन के विशेष स्तर पर विचार करना कि मृतक के जीवनकाल के दौरान उपयोग किया जा सकता है

इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए मृतक के वार्ड/आश्रित को रोजगार की स्वीकार्यता

कर्मचारी। जैसा कि उपरोक्त "निर्धन सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट" के सवाल को दर्शाते हैं।

एस सी आर।

इसलिए सभी प्रासंगिक मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में परिस्थितियों का निर्णय लिया जाना चाहिए। उल्लिखित पहलू, ताकि अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिनचर्या के रूप में न दिया जाए। जबकि सभी योग्य मामलों में उपयुक्त रोजगार प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी को ऐसे मामलों पर विचार करते समय "चुनें और चुनें" के तत्व को बाहर करने के लिए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

13. इसके बाद, 4 अप्रैल 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन

यह मानते हुए कि क्या मृतक का परिवार

ओ. वाई. ई. गरीब परिस्थितियों में है, किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टीकरण, अन्य बातों के साथ, प्रदान किया गया हैः

" 3. निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रकार के गरीब प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। केवल परिवार की निर्धन परिस्थितियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आय की जाँच करके इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है -

परिवार को। द्वारा निर्धारित ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है

सरकार से न ही निर्धनता प्रमाण पत्र की मांग की जानी चाहिए।

प्रभावित परिवार।

वित्त विभाग के 29 एम्बर 2008 के एक पत्र के लिए इंजीनियर-इन-चीफ को विज्ञापन, जिसमें सं। पीबीडब्ल्यू-ए-बी (2)006. आय मानदंड जो वित्त लेख द्वारा निर्धारित किया गया था, निम्नलिखित शर्तों में थाः

" वित्त विभाग द्वारा निर्धारित आय मानदंड वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम पारिवारिक आय सीमा को ध्यान में रखता है। एक परिवार के लिए 4 सदस्यों के लिए रु। 1.00 लाख और छोटे के लिए परिवारों, आंतरिक मानदंड रु। 25,000 / - प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष। इस प्रकार, यदि केवल एक ही आश्रित है, तो समग्र आय सीमा रुपये है। 25,000 / - प्रति वर्ष। यदि मृतक के दो आश्रित हैं, तो आवेदक की आय होनी चाहिए

रुपये से अधिक नहीं। 50,000 / - प्रति वर्ष। तीन आश्रितों के मामले में, कुल आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 75,000 / - प्रति वर्ष।

हिमाचल प्रदेश राज्य v. शशि कुमार [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

कुल आय सीमा रु। 1.00 प्रति वर्ष लाख, भले ही परिवार

आकार चार से अधिक है। पारिवारिक आय की गणना के उद्देश्य से ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, परिवर्त्तन राशि को बाहर रखा गया है, लेकिन मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन, महँगाई राहत, अंतरिम राहत

वार्षिक पारिवारिक आय की गणना के लिए शामिल किया जाता है।

15. उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि रुपये की आय सीमा को बाद में संशोधित कर रुपये कर दिया गया था। हमारे पास है।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि यह संशोधन 20 अप्रैल 2011 को किया गया था। 16. उच्च न्यायालय ने निर्णय के लिए बनाए गए पहले मुद्दे पर विचार करते हुए कहा कि राज्य को यह निर्धारित करने में पारिवारिक पेंशन और अन्य अंतिम लाभों को ध्यान में रखने का अधिकार नहीं है कि क्या

मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के साथ नियुक्ति दी जानी चाहिए। 17. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, उच्च न्यायालय ने गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम जीवन बीमा मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है।

18. उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया ने आग्रह किया कि 18 जनवरी 1990 की नीति में सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार सहायता देने की परिकल्पना की गई है, जहां राज्य के एक कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, जिससे परिवार गरीब परिस्थितियों में रह जाता है। प्रस्तुतिकरण यह है कि दयालु की उत्पत्ति

नियुक्ति यह है कि ऐसे कर्मचारी के परिवार को सहायता प्रदान की जानी चाहिए जो ऐसे मामले में काम पर रहते हुए मर जाता है जहां परिवार को तत्काल निर्वाह की आवश्यकता होती है और अन्यथा गरीब परिस्थितियों में छोड़ दिया जाता है।

1 (2005) 10 एस. सी. सी. 289 2 ए. आई. आर. 2008 एस. सी. डब्ल्यू. 198 3 (2015) 7 एस. सी. सी. 412 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के अधिकार की एक सुसंगत रेखा इस सिद्धांत को स्थापित करती है कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि केवल प्रचलित योजना या नियोक्ता द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विचार करने का अधिकार है, जहां ऐसी योजना मौजूद है। वर्तमान मामले में, यह आग्रह किया गया कि नीति, जैसा कि बाद में संशोधित किया गया, स्पष्ट रूप से आवश्यक है कि क्या परिवार गरीब परिस्थितियों में है, यह मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति, पेंशन सहित विभिन्न स्रोतों से आय और आश्रितों की संख्या सहित देनदारियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसलिए, जब नीति की शर्तों के लिए आवश्यक है कि पेंशन लाभों का हिसाब रखा जाना चाहिए, तो यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय

नीति को नजरअंदाज करने का निर्देश जारी करना उचित नहीं है। साथ ही, यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य उपदान, छुट्टी नकदीकरण और परिवर्त्तन को ध्यान में नहीं रखता है। हालांकि, मासिक पेंशन, परिवार

पेंशन, महँगाई राहत और अंतरिम राहत पर विचार किया जाता है। एकमुश्त भुगतान को बाहर रखने का तर्क यह है कि राज्य की सुविचारित दृष्टि में, ये कुछ समय के लिए परिवार के लाभ को सुनिश्चित नहीं करते हैं। चाहे जो भी हो, यह भी आग्रह किया गया है कि आय सीमा या स्लैब निर्धारित करने के वित्त विभाग के निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि आय स्लैब का प्रिस्क्रिप्शन व्यक्तिगत आवेदनों के उचित मूल्यांकन को कम करता है। यह विवेकाधिकार के तत्व को कम करता है और मामले दर मामले को दूर करता है।

परिवार की निर्धन परिस्थितियों को तय करने के लिए आय मानदंड क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, इसका विश्लेषण। अंत में, वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह आग्रह किया गया कि आवेदन जो प्रस्तुत किया गया था

2007 में प्रतिवादी को उस पेंशन को शामिल करने की आवश्यकता थी जो परिवार को आय के विवरण में मिल रही थी। अतिरिक्त सचिव के 15 जनवरी 2008 के पत्र पर, रिट याचिका 11 मई 2015 को दायर की गई थी, जिसके सात साल बाद और मृतक कर्मचारी की मृत्यु के लगभग दस साल बाद। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदन पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतिम निर्देश स्पष्ट रूप से गलत है। अनुकंपापूर्वक नियुक्ति का उद्देश्य किसी मृत कर्मचारी के परिवार को उसकी मृत्यु के कारण उत्पन्न तत्काल संकट से उबरने में सक्षम बनाना है।

कर्मचारी। इसलिए, इस प्रकार की देरी, किसी भी स्थिति में, आवेदन के साथ-साथ रिट याचिका की अस्वीकृति का कारण बननी चाहिए। 19. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि देरी का मुद्दा हिमाचल प्रदेश राज्य के रास्ते में नहीं आना चाहिए।

शशि कुमार [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार किया जा रहा है, जिसमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नीति के पैराग्राफ 8 में विचार किया गया है कि जहां मृतक कर्मचारी के किसी भी बच्चे ने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की थी, वहां आवेदन जमा करने की समय सीमा सबसे बड़े बच्चे द्वारा 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बढ़ा दी गई है। यद्यपि प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख को नाबालिग नहीं था

मृत कर्मचारी, तर्क के सादृश्य से, यह आग्रह किया गया था कि देरी, अपने आप में, आवेदन की अस्वीकृति का परिणाम नहीं होनी चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि राज्य में भर्ती की ऊपरी आयु को बढ़ाया गया है

पैंतालीस साल। पारिवारिक पेंशन को शामिल करने के पहलू पर, उच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी, जो बदले में इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर आधारित है। अंत में, आय स्लैब पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय के साथ विचार करने के अलावा, नीति में संशोधन करने के लिए वित्त विभाग के लिए यह खुला नहीं था। इसके अलावा, रुपये की आय सीमा का कोई आधार नहीं है। 1,00,000 / - , जिसे वित्त विभाग द्वारा 29 सितंबर को निर्धारित किया गया था 2008 जिसे बढ़ाकर रु. 1,50,000/- कर दिया गया। यह आग्रह किया गया कि अनुचित रूप से कम आय सीमा निर्धारित करने के परिणामस्वरूप, उन परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा जो गरीब हैं और जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है।

20. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते समय, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनुकंपा नियुक्ति जनरल के लिए एक अपवाद है।

नियम है कि राज्य की सेवा में किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति उन सिद्धांतों के आधार पर की जानी चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप हैं। राज्य के मृत कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पर नीति के आधार पर पात्र बनाया जाता है। पॉलिसी का आधार यह है कि यह मान्यता देता है कि किसी मृत कर्मचारी के परिवार को सेवा में रहते हुए कर्मचारी की असामयिक मृत्यु पर वित्तीय कठिनाई की स्थिति में रखा जा सकता है। यह आवश्यकता की तात्कालिकता है जो राज्य को अनुकंपा नियुक्ति के लाभ की अनुमति देने के लिए आधार प्रदान करती है। जहाँ प्राधिकरण पाता है कि वित्तीय

और परिवार की अन्य परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उनकी अनुपस्थिति में

तत्काल सहायता, इसे गरीब होने तक कम कर दिया जाएगा, परिवार के किसी आश्रित सदस्य के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। जिन शर्तों पर ऐसे आवेदनों पर विचार किया जाएगा, वे राज्य द्वारा बनाई गई नीति के अधीन हैं और उन्हें नीति की शर्तों को पूरा करना होगा। इस मायने में, यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अनुकंपा नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन, जहां एक नीति है, एक आश्रित [2019] 2 एस. सी. आर.

मृतक कर्मचारी के परिवार का सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने और निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार आवेदन पर विचार करने का हकदार है।

राज्य।

21. वर्तमान मामले में नीति जो 18 जनवरी 1990 को तैयार की गई थी, स्पष्ट रूप से रोजगार सहायता प्रदान करने की बात करती है सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए जो सेवा में रहते हुए मर गए हैं,

" अपने परिवारों को गरीब परिस्थितियों में छोड़ देते हैं "। दूसरे शब्दों में, यह नीति उन परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है जहां मृत्यु हो जाती है।

एक सरकारी कर्मचारी ने उन्हें गरीब परिस्थितियों में छोड़ दिया है, जिसके लिए निर्वाह के तत्काल साधनों की आवश्यकता होती है। नीति पैराग्राफ 10 में मान्यता देती है कि कल्याणकारी उपायों के कारण एक परिवार को मिलने वाले लाभों पर विचार किया जाना आवश्यक है। इनमें नीति यह निर्धारित करता है कि परिवार की वित्तीय परिस्थितियों का आकलन करते समय पारिवारिक पेंशन और मृत्यु उपदान को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। यह नीति किसी मृत कर्मचारी के आश्रितों को केवल पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति के कारण अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार करने से नहीं रोकती है। नीति में क्या कहा गया है कि

पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति को इस बात पर विचार करते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या परिवार को आजीविका के तत्काल साधनों की आवश्यकता वाली गरीब परिस्थितियों में छोड़ दिया गया है। पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति है,

इसलिए, उन विचारों में से एक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। नीति के पैराग्राफ 10 (सी) में राज्य द्वारा प्रदान किए गए उपायों को निर्धारित किया गया है जो परिवार की वित्तीय आवश्यकता को प्रभावित करते हैं। 22. नीति की स्पष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने अपनी नीति की अवहेलना करने के लिए सरकार को आदेश जारी करने में गलती की थी। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने एक निर्गम में समर्थन प्राप्त किया है

गोविंद प्रकाश वर्मा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय से उपरोक्त शर्तों में आदेश। यह अनुकंपा नियुक्ति का मामला था जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान, एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने जीवन बीमा निगम, जो मृतक कर्मचारी का नियोक्ता था, को एक जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था कि क्या लाभकारी रोजगार में लगे परिवार के सदस्य भी मृतक कर्मचारी के परिवार का समर्थन कर रहे थे। इस न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील में कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य के अधिकारी बनाम।

जिन्होंने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुसरण में मामले की जांच की थी, उन्होंने उन बिंदुओं पर कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में पूरी तरह से चूक की, जिनकी जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए थी। उच्च न्यायालय ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि परिवार को अंतिम लाभ के लिए पारिवारिक पेंशन और अन्य राशि प्राप्त हो रही थी। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को उलटते हुए, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 6. हमारे विचार में, विभागीय अधिकारियों और विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए यह पूरी तरह से अप्रासंगिक था कि वे उस राशि को ध्यान में रखें जो मृतक की विधवा को पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान की जा रही थी (जो राशि, अपीलार्थी के अनुसार, अब घटाकर आधी कर दी गई है) और अन्य राशियों के कारण भुगतान किया गया था - नियमों के तहत अंतिम लाभ "।

23. गोविंद प्रकाश वर्मा (ऊपर) के फैसले पर बाद में कई फैसलों में विचार किया गया है। लेकिन, उन निर्णयों का विज्ञापन करने से पहले, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनुकंपा नियुक्ति की प्रकृति पर इस न्यायालय द्वारा उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य मामले में विचार किया गया था। उमेश कुमार नागपाल (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांतों का बाद में इस न्यायालय में लगातार पालन किया गया है। इन सिद्धांतों को निम्नलिखित उद्धरण में समाहित किया गया है:

" 2. ..... एक नियम के रूप में, लोक सेवाओं में नियुक्तियां सख्ती से आवेदनों और योग्यता के खुले निमंत्रण के आधार पर की जानी चाहिए। नियुक्ति का कोई अन्य तरीका या कोई अन्य विचार स्वीकार्य नहीं है। न तो सरकारें और न ही सार्वजनिक प्राधिकरण किसी अन्य प्रक्रिया का पालन करने या नियमों में ढील देने के लिए स्वतंत्र हैं।

पद के लिए नियमों द्वारा निर्धारित योग्यताएँ। हालाँकि, इस सामान्य नियम का, जिसका हर मामले में सख्ती से पालन किया जाना है, न्याय के हित में और कुछ आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अपवाद बनाए गए हैं। ऐसा ही एक अपवाद एक कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में है जो नौकरी में मर जाता है और अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ देता है। ऐसे मामलों में, विशुद्ध मानवीय विचार से

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक परिवार दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, नियमों में मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जो पात्र हो सकता है

ऐसी नौकरी। इस प्रकार अनुकंपापूर्ण रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है। उद्देश्य यह नहीं है कि ऐसे परिवार के किसी सदस्य को मृतक द्वारा धारण किए गए पद के लिए बहुत कम पद दिया जाए। इसके अलावा, केवल एक कर्मचारी की मृत्यु उसके परिवार को आजीविका के ऐसे स्रोत का हकदार नहीं बनाती है। सरकार या जनता

संबंधित प्राधिकारी को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होती है, और यह केवल तभी होता है जब यह संतुष्ट होता है, लेकिन रोजगार के प्रावधान के लिए, परिवार इस संकट का सामना नहीं कर पाएगा कि परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी की पेशकश की जानी है। कक्षा III और IV में पद गैर-मैनुअल और मैनुअल श्रेणियों में सबसे कम पद हैं और इसलिए अकेले उन्हें अनुकंपा के आधार पर पेश किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य परिवार को वित्तीय अभाव से राहत देना और आपातकाल से उबरने में मदद करना है। नियम को अपवाद बनाकर ऐसे सबसे निचले पदों पर रोजगार का प्रावधान उचित और वैध है क्योंकि

भेदभावपूर्ण नहीं। ऐसे लोगों को दिया जाने वाला अनुकूल उपचार

ऐसे पदों पर मृत कर्मचारी के आश्रित का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है। , निर्धनता के खिलाफ राहत। इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कोई अन्य पद दिए जाने की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में यह याद रखना चाहिए कि मृतक के बेसहारा परिवार के विपरीत लाखों अन्य परिवार हैं जो समान रूप से, यदि अधिक बेसहारा नहीं हैं। मृतक कर्मचारी के परिवार के पक्ष में बनाए गए नियम का अपवाद उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और वैध अपेक्षाओं, और पूर्ववर्ती द्वारा उत्पन्न परिवार की स्थिति और मामलों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए है।

रोजगार जो अचानक बदल जाते हैं। 24. विशेष रूप से वित्तीय पर विचार करने के संदर्भ में

मृतक कर्मचारी के परिवार की स्थिति, कई निर्णयों के न्यायालय ने पालन किए जाने वाले सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताया है।

25. महाप्रबंधक (डी एंड पी. बी.) बनाम कुंती तिवारी में निर्णय ने 7 अगस्त को एक कार्यालय ज्ञापन की व्याख्या की, जिसे उमेश कुमार अल (सुप्रा) में निर्णय के आलोक में सभी बैंकों को वितरित किया गया। भारतीय बैंक संघ ने इस योजना में न्यायालय के निर्देशों को अपनाया जिसे नियुक्त करने के लिए प्रस्तावित किया गया था

मृतक कर्मचारियों की। योजना में विचार किया गया कि क्रम में

-) 7 एस. सी. सी. 271 हिमाचल प्रदेश राज्य v. शशि कुमार [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

परिवार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, निम्नलिखित राशियाँ

ध्यान में रखा जाना चाहिएः

" 7 ..... ((क) पारिवारिक पेंशन।

(ख) प्राप्त उपदान राशि। (ग) भविष्य निधि में कर्मचारी/नियोक्ता का योगदान। (घ) बैंक या उसके कल्याण कोष द्वारा भुगतान किया गया कोई भी मुआवजा।

(ई) एल. आई. सी. पॉलिसी और अन्य निवेशों की आय

मृतक कर्मचारी।

(च) अन्य स्रोतों से परिवार की आय। (छ) परिवार के अन्य सदस्यों को रोजगार देना।

(ज) परिवार का आकार और देनदारियाँ, यदि कोई हों, आदि।

26. आखिरकार, इस सिफारिश को योजना में स्वीकार कर लिया गया। इन सिफारिशों और योजना के आलोक में, यह न्यायालय

यह देखा गया कि जहां किसी मृत कर्मचारी के परिवार को आजीविका के साधनों के बिना नहीं छोड़ा गया था, वहां अनुकंपा नियुक्ति के दावे को कायम नहीं रखा जा सकता था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उस मामले में यह निर्णय परिवार की समग्र वित्तीय स्थिति की समीक्षा पर लिया गया था, जिसमें अंतिम लाभों के लिए प्राप्त राशि भी शामिल थी।

27. पंजाब नेशनल बैंक बनाम अश्विनी कुमार तनेजा के मामले में इस अदालत के फैसले ने इसी सिद्धांत का पालन किया। इस विचार को दोहराते हुए

28. भारतीय स्टेट बैंक बनाम सोमवीर सिंह में निर्णय ने मृतक के आश्रितों की नियुक्ति की योजना पर ध्यान दिया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अनुकंपा के आधार पर बनाए गए कर्मचारी। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारियों ने बैंक द्वारा भुगतान की जाने वाली पारिवारिक पेंशन सहित अंतिम लाभों, निवेशों और मासिक पारिवारिक आय को ध्यान में रखने में कोई गलती नहीं की। इस न्यायालय के दृष्टिकोण को निम्नलिखित उद्धरण में व्यक्त किया गया हैः

" 12. सक्षम प्राधिकारी ने आवेदन पर विचार करते समय उन कारकों में से प्रत्येक को ध्यान में रखा था और तदनुसार पाया कि नौकरी में मरने वाले कर्मचारी के आश्रित गरीबी में नहीं हैं और आजीविका के किसी भी साधन के बिना हैं। प्राधिकरण ने अंतिम लाभ और निवेश और बैंक द्वारा भुगतान की गई पारिवारिक पेंशन सहित मासिक पारिवारिक आय को लेने में कोई त्रुटि नहीं की।

6 (2004) 7 एससीसी 265

7 (2007) 4 एस. सी. सी. 778 [2019] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए कि क्या

स्वर्गीय जिल सिंह का परिवार गरीबी में या बेसहारा रह गया था।

आजीविका का कोई भी साधन। अपीलार्थी द्वारा बनाई गई योजना

वास्तव में बैंक उन कारकों को शामिल करने के लिए प्राधिकरण को अनिवार्य करता है।

परिवार की आय को ध्यान में रखते हुए स्रोत अर्थात। कृषि भूमि "।

(जोर दिया गया)

29. इस न्यायालय के विचार में, एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार किया जाना था

क्या अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर योजना के अनुसार विचार किया गया था। सभी स्रोतों से परिवार की आय को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था

योजना। उच्च न्यायालय द्वारा इसे नजरअंदाज किए जाने के बाद, बैंक द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया।

30. मुमताज यूनुस मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ का फैसला

मुलानी बनाम महाराष्ट्र राज्य ने यह सिद्धांत अपनाया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है, बल्कि मृतक के परिवार को अचानक वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाने का एक साधन है। योजना में निहित प्रावधानों के आधार पर परिवार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। गोविंद प्रकाश वर्मा (उपरोक्त) मामले में निर्णय पर विधिवत विचार किया गया है, लेकिन अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पहले का निर्णय बाध्यकारी था।

उस मामले में इस न्यायालय के उदाहरणों पर ध्यान दिया गया है।

31. भारत संघ बनाम शशांक गोस्वामी 'में, यह न्यायालय

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी एक परिपत्र माना जाता है, जिसके संदर्भ में प्राप्त अंतिम लाभों सहित सभी स्रोतों से परिवार की कुल आय को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था। परिपत्र में समूह 'बी', समूह 'सी' और समूह 'डी' पदों के लिए आय सीमा निर्दिष्ट की गई थी। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि मृतक कर्मचारी की विधवा को पारिवारिक पेंशन अधिकृत की गई है, इस न्यायालय ने कहा कि आश्रित का मामला समूह 'सी' पदों के लिए आय सीमा के भीतर नहीं आता है।

32. इसी सिद्धांत को एक अन्य निर्णय में दोहराया गया है

दो की पीठ-भारतीय स्टेट बैंक बनाम सूर्य नारायण त्रिपाठी मामले में इस न्यायालय के न्यायाधीश। विद्वान परामर्श की प्रस्तुति की ओर इशारा करते हुए 8 (2008) 11 एस. सी. सी. 384

9 9 (2012) 11 एससीसी 307

1 0 (2014) 15 एस. सी. सी. 739 हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। शशि कुमार [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

गोविंद प्रकाश वर्मा (ऊपर) मामले में निर्णय पर, इस न्यायालय ने नोट किया

" 8. उन्होंने गोविंद प्रकाश मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया।

वर्मा बनाम। एल. आई. सी. [गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम। एल. आई. सी. (2005) 10 एस. सी. सी. 289: 2005 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 590] जहाँ यह विचार लिया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि परिवार के किसी अन्य सदस्य को उचित प्राप्त हुआ था।

रोजगार और सेवा लाभ पर्याप्त थे। हम कर सकते हैं

विनम्रतापूर्वक कहें कि यह दृष्टिकोण उस दृष्टिकोण के विपरीत है जो पहले उमेश कुमार नागपाल [उमेश कुमार नागपाल] में लिया गया था।

वी. हरियाणा राज्य (1994) 4 एस. सी. सी. 138: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 930: (1994) 27 ए. टी. सी. 537] जिसका न्यायालय के समक्ष उल्लेख नहीं किया गया था

गोविंद प्रकाश [गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम। एल. आई. सी. (2005) 10

एससीसी 289: 2005 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 590]। बाद के दो निर्णय जो ऊपर संदर्भित किए गए थे, वे भी वही विचार रखते हैं जो उमेश में थे।

कुमार नागपाल [उमेश कुमार नागपाल बनाम। हरियाणा राज्य,

सोमवीर सिंह [एस. बी. आई. बनाम। सोमवीर सिंह, (2007) 4 एससीसी 778: (2007) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 92] जहाँ 1998 की योजना पर विचार किया गया है। 9. अनुकंपा नियुक्ति के सभी मामलों में यह होना चाहिए

यह देखा कि यह मूल रूप से परिवार के लिए एक रास्ता है जो है

कमाने वाले की मृत्यु के कारण आर्थिक रूप से कठिनाइयों में। यह नियमित रोजगार के लिए कोई अवसर नहीं है। यह वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रावधानों के लिए एक अपवाद है।

संविधान। ऐसा होने पर, यदि कोई नियोक्ता इंगित करता है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था पर्याप्त है, तो परिवार के सदस्य इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि उनमें से किसी एक को तुलनीय वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

नियुक्ति। यह वह सिद्धांत है जिसे पूरे समय अपनाया गया है, इसलिए हमारे लिए इस पर किए गए समर्पण को स्वीकार करना मुश्किल है

प्रत्यर्थी की ओर से।

33. अब, इस पृष्ठभूमि में यह आवश्यक होगा कि

केनरा बैंक (ऊपर) में निर्णय के लिए। के लिए एक योजना

8 मई 1993 की नियुक्ति केनरा में प्रचलित थी।

जब अक्टूबर 1998 में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो गई।

9] 2 एस. सी. आर. का सामना करना पड़ा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन की अस्वीकृति, उच्च न्यायालय को एक रिट याचिका में स्थानांतरित किया गया था जिसमें एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियुक्ति के दावे पर पुनर्विचार करने के लिए एक निर्देश जारी किया था। इस दौरान डिवीजन बेंच के समक्ष अपील के लंबित होने पर, अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना को नियुक्ति के बदले अनुग्रह राशि प्रदान करने वाली एक नई योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। मुख्य मुद्दा जो गिर गया

34. बाद की योजना की प्रयोज्यता पर विचार करते हुए, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक बनाम राजपाल कौर 1 1 में पहले के फैसले के बाद कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ जब पहले की योजना लागू थी। इसलिए, दावे पर बाद की योजना के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सका, जिसमें केवल अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान था। इसके अलावा, वास्तव में, अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान के लिए योजना को पुनर्जीवित करके 2014 में बाद की योजना को हटा दिया गया था। 35. इसलिए, केनरा बैंक (उपरोक्त) में जिस मुद्दे पर विचार किया गया है, वह यह है कि क्या अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के लिए आवेदन को उस योजना के आधार पर खारिज किया जा सकता था जो आवेदन जमा करने की तारीख के बाद लागू हुई थी। यह, जैसा कि इस न्यायालय ने कहा, मुख्य प्रश्न था जो विचार के लिए पड़ा। हालांकि, दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी नोट किया कि अपीलकर्ता-बैंक की ओर से यह आग्रह किया गया था कि प्रतिवादी के परिवार को पारिवारिक पेंशन मिल रही है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसका कोई परिणाम नहीं था

अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करना।

36. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने केनरा बैंक (उपरोक्त) के फैसले में उपरोक्त टिप्पणियों में अंतर करने की मांग करते हुए कहा है कि यह हिमाचल प्रदेश राज्य का मामला नहीं है कि केवल पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति एक आवेदक को अक्षम कर देगी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने से या दावे पर विचार करने से रोकने से। इसके विपरीत, प्रस्तुतिकरण जो है

1 1 (2007) 9 एस. सी. सी. 571 हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। शशि कुमार [डॉ। धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

आग्रह किया गया है कि इस योजना में आय के सभी प्रासंगिक स्रोतों पर विचार करने की आवश्यकता है और इसलिए, पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति उन मानदंडों में से एक होगी जिन्हें निर्धारित करने में ध्यान में रखा जाएगाः क्या मृतक कर्मचारी का परिवार निर्धन परिस्थितियों में है।

37. हम इस समर्पण में योग्यता पाते हैं, सरल कारण के लिए, कि यह

यह 18 जनवरी 1990 की योजना की स्पष्ट शर्तों के अनुरूप है, जैसा कि राज्य द्वारा संशोधित किया गया है। इस योजना में विचार किया गया है कि जो भुगतान कल्याणकारी उपायों के कारण प्राप्त हुए हैं

पारिवारिक पेंशन सहित राज्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से, योजना की शर्तों को लागू किया जाना चाहिए।

38. इन्हीं कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि गोविंद प्रकाश मामले के फैसले के आधार पर उच्च न्यायालय उचित नहीं था वर्मा (ऊपर) ने राज्य को योजना की व्यक्त शर्तों के विपरीत कार्य करने का निर्देश जारी करते हुए कहा कि मृतक कर्मचारी के आश्रितों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन को ध्यान में रखा जाए।

39. यह न्यायालय को आय स्लैब के निर्धारण से संबंधित मामले के अगले पहलू की ओर ले जाता है। हमारे विचार में, आय स्लैब का निर्धारण, वास्तव में, एक ऐसा उपाय है जो मनमानेपन के तत्व को कम करता है। जबकि, निस्संदेह, निर्णय लेते समय प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है, आय स्लैब का निर्धारण निर्णय की प्रक्रिया में निष्पक्षता और एकरूपता लाने के उद्देश्य को कम करता है।

बनाते हैं। उच्च न्यायालय का विचार था कि वह योजना में संशोधन करने के लिए वित्त विभाग के लिए खुला नहीं है। वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्रों को एक अधिसूचना नहीं माना जा सकता है।

नीति में संशोधन। वे वास्तव में योजना के इरादे और उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। परिपत्र व्याख्यात्मक हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य गरीबी की अवधारणा पर निर्णय निर्माता का मार्गदर्शन करना है जिसे योजना में शामिल किया गया है। वास्तव में, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, शशांक गोस्वामी (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के फैसले में, अदालत विशेष रूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक परिपत्र पर विचार कर रही थी, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के मामले में निर्णय का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से समूह 'बी', 'सी' और 'डी' पदों के लिए क्रमशः आय सीमाएं लगाई गई थीं। आय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था

इसे शक्ति का मनमाना प्रयोग माना जाता है और नहीं। हालाँकि, इस मामले के रिकॉर्ड से हमें जो पता चलता है वह यह है कि आय सीमा 29 सितंबर 2008 को पत्र [2019] 2 एस. सी. आर. द्वारा तय की गई थी (जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा था)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वित्त विभाग। 20 अप्रैल 2011 को चार व्यक्तियों के परिवार के लिए रुपये की आय सीमा को संशोधित कर रुपये कर दिया गया है। श्री पी. एस. पटवालिया ने निर्देश पर इस न्यायालय के समक्ष कहा है कि इस सीमा को 27 जुलाई 2017 को दोहराया गया है। आय का उचित मानदंड क्या होना चाहिए, यह निस्संदेह राज्य सरकार को तय करना है। हालाँकि, हम प्रभावित करेंगे राज्य सरकार को समय-समय पर आय सीमा को अधिमानतः तीन साल के अंतराल पर संशोधित करने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत में वृद्धि का सेवारत और साथ ही मृत कर्मचारियों के परिवारों के सामने आने वाली वित्तीय आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर विचार करने के लिए आय मानदंड तय करने में, यह उचित होगा कि राज्य आवधिक अंतराल पर आय सीमा पर फिर से विचार करे, जैसा कि हमने ऊपर संकेत दिया है। हम स्पष्ट करते हैं कि यदि राज्य को ऐसा करने की सलाह दी जाती है तो तीन साल से कम की आवृत्ति पर आय सीमा को संशोधित करना राज्य के लिए खुला रहेगा।

40. जहाँ तक प्रत्यर्थी से संबंधित व्यक्तिगत तथ्यों का संबंध है, यह रिकॉर्ड से सामने आया है कि रिट याचिका पहले

उच्च न्यायालय की स्थापना 11 मई 2015 को की गई थी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन 8 मई 2007 को प्रस्तुत किया गया था। 15 जनवरी 2008 को अतिरिक्त सचिव ने आवश्यक किया था कि पेंशन के माध्यम से प्राप्त राशि को परिवार के आय विवरण में शामिल किया जाए। द.

इसके बाद प्रतिवादी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने के लिए सात साल से अधिक समय तक इंतजार किया। उमेश कुमार नागपाल (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि अनुकंपा नियुक्ति की योजना का आधार तत्काल प्रदान करने की आवश्यकता में निहित है।

मृतक कर्मचारी के परिवार को सहायता। यह भावना सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति की मांग में आश्रित की ओर से देरी से तत्कालता स्पष्ट रूप से खो जाती है।

41. हम इस निवेदन से प्रभावित नहीं हैं कि देरी को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि योजना के पैराग्राफ 8 में विचार किया गया है कि ऐसी स्थिति में जहां मृतक कर्मचारी के सभी आश्रित बच्चों को अभी वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं हुई है, आवेदन जमा करने की समय सीमा तब तक बढ़ा दी गई है जब तक कि पहले बच्चे की आयु 21 वर्ष नहीं हो जाती। एक मामला जहां प्रत्येक बच्चा नाबालिग है, पूरी तरह से एक अलग वर्ग में आता है। इसकी बराबरी नहीं की जा सकती।

ऐसी स्थिति के साथ जहां एक मृत कर्मचारी का आश्रित जो मृत्यु की तारीख को एक वयस्क था, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उचित अवधि के भीतर आवेदन जमा करने में विफल रहता है।

जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम सज्जाद अहमद मीर 1 2 और स्थानीय प्रशासन सहित इस न्यायालय के अन्य फैसलों में देरी पर विचार किया गया है। विभाग बनाम एम. सेल्वनायगम 1 3.

42. हम अब राज्य को प्रतिवादी के मामले में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने में कोई कारण या उद्देश्य नहीं देखते हैं जो केवल

इसके परिणामस्वरूप निष्फल मुकदमेबाजी का एक और दौर होता है। हमारे विचार में, प्रतिवादी को देरी से अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने से प्रतिबंधित किया जाता है साथ ही समय के अंतराल तक जो हुआ है।

43. इन परिस्थितियों में, हम निम्नलिखित में अपील की अनुमति देते हैं।

शर्तेंः (i) उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका (2015 का सी. डब्ल्यू. पी. No.3652) खारिज हो जाएगी और अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर पुनर्विचार के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश को दरकिनार कर दिया जाएगा।

((ii) उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को जारी किया गया निर्देश -

पारिवारिक पेंशन और अन्य अंतिम लाभों को ध्यान में रखने से बचना कानून में अस्थिर है और तदनुसार अलग रखा जाता है;

(iii) जबकि हम अनुकंपा के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करने के लिए आय सीमा निर्धारित करने के राज्य सरकार के निर्णय की पुष्टि करते हैं।

नियुक्ति, हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार, नीति के अनुपालन में, तीन साल या उससे पहले के अंतराल पर आय सीमा पर पुनर्विचार करेगी और विचार करेगी कि क्या जीवन यापन की लागत, मुद्रास्फीति और अन्य प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन आवश्यक है।

44. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। कोई लागत नहीं।

अंकित ज्ञान

अपी

ल का निपटारा किया गया।

1 2 (2006) 5 एस. सी. सी. 766, पैरा 11 13 13 (2011) 13 एस. सी. सी. 42, पैरा 11,12 और 13